कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी हरदोई

पत्रांक: सी0एफ0ओ0/विद्यालय 01(10)/एफ0ए0 2018 दिनांक मई 01, 2018

सेवा में,

प्रबन्धक/ प्राचार्य
सुभाष चन्द्र बोस पी0जी0कालेज
कहली, तेरवा, गौरागंज
जनपद हरदोई।

विषयः— सुभाष चन्द्र बोस पी0जी0कालेज, कहली, तेरवा, गौरागंज जनपद हरदोई में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

—:—

कृपया आपके प्रार्थना पत्र दिनांक: 03.05.2018 के क्रम में उक्त विद्यालय भवन में स्थापित जीवन रक्षा,फायर प्रिवेन्शन एवं फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की स्थापना/क्रियाशीलता का एन0बी0सी0-2016 एवं मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या:1528/79-6-2008 दिनांक: 20.07.2009,सचिव (शिक्षा) उ0प्र0शासन के आदेश संख्या:1801/15-7/09 (124)/2009 दिनांक: 20.07.2009 व उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या:2203/79-6-2008 दिनांक:15.09.2009 के अनुसार विद्यालय भवन का अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से निरीक्षण/परीक्षण किया गया। विद्यालय में उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों की टेस्टिंग फीस राजकीय कोष में जमा करा दिया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः—

1. विद्यालय भवन पूर्व से संचालित तथा वर्तमान में प्रथम तल तक निर्मित है।

1. **उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्थाः**—विद्यालय भवन में कुल 10 अदद ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशील दशा में उपलब्ध है।

अतएव उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर **सुभाष चन्द्र बोस पी0जी0कालेज, कहली, तेरवा, गौरागंज** जनपद हरदोई का अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकरण निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है।

1. विद्यालय भवन में एन0बी0सी0 2016 के अनुसार टेरेस टैंक, टेरेस पम्प व प्रत्येक तल पर कवर्ड एरिया के अनुपात में होजरील 90 दिवस के अन्दर स्थापित कर अवगत कराया जाय।
2. भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मेन्टीनेन्स शेडयूल बनाया जाय तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाय।
3. भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाय।
4. किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने के पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
5. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाय तथा पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाय।
6. प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉकड्रिल/फायरड्रिल करायी जाय तथा इमरजेन्सी इक्यूवेशन प्लान बनाया जाय इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करायी जाय।
7. प्रमुख सचिव उ0प्र0 के शासनादेश संख्या:1765/छः-पु0-8-2017-905(34)/2016 दिनॉक:16.02.2018 में दिये गये निर्देशों के अनुसार **प्रत्येक छः माह** में अग्निशमन व्यवस्था का अग्नि सुरक्षा आडिट कराया जाना वांछनीय होगा।
8. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
9. विद्यालय भवन में जिन कमरों में एक ही दरवाजा लगा है उन कमरों में 45 से अधिक छात्र/छात्राओं को नही बैठाया जायेगा।
10. विद्यालय में भोजन एवं मिड डे मिल आदि भूतल पर निकास मार्गो से दूर टीन सेट अथवा पक्के निर्माण में ही किया जायेगा।
11. विद्यालय भवन में विस्फोटक पदार्थ का भण्डारण नही किया जायेगा।
12. उक्त शर्तो/निर्देशों का उल्लंघन होने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(आर0एस0 त्रिपाठी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरदोई

प्रतिलिपिः—कुल सचिव छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

Scanned by CamScanner